

राष्ट्रीय रोजगानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
 9वां तल—ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अंतरांकित प्रश्न संख्या : 143
 दिनांक : 10/08/2017
 प्रश्नकर्ता का नाम : श्री श्रीदत्त शर्मा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ तथा कनिष्ठ चिकित्सकों की तदर्थ आधार पर कमशः तीन साल और एक साल के लिए नियुक्ति की जा रही है ;	जूनियर रेजिडेंट्स एवं सीनियर रेजिडेंट्स के संदर्भ भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों व दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए नियमों के तहत जूनियर रेजिडेंट्स की भर्ती एक साल के लिए एवं सीनियर रेजिडेंट्स की नियुक्ति तीन साल के चयनित किए जाते हैं ।
ख)	यदि हाँ तो क्या भविष्य के प्रति इनकी अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार इन्हें दीर्घ अवधि के लिए नियुक्त करने की योजना पर विचार कर रही है ;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।
ग)	यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ; और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।
घ)	यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

P.C. Kumar
 Joint Secretary
 Health & Family Welfare Deptt.
 909 A, 9th Level, Delhi Secrt.
 New Delhi